

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

प्रलम्ब के लिये:

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सटिज़िन्स, जनगणना, नागरिकता अधिनियम 1955, CAA

मेन्स के लिये:

जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, एनपीआर को अद्यतन करने की आवश्यकता एवं इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में देश भर में [राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर \(NPR\)](#) डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

- यह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करने अथवा जानकारी को सामयिक बनाने के लिये है, जिसके लिये प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र किये जाने हैं।

NPR:

■ परिचय:

- NPR एक **डेटाबेस** है जिसमें देश के सभी **सामान्य नवासियों** की सूची होती है।
 - NPR के लिये सामान्य नवासी वह है जो कम-से-कम पछिले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- इसका **उद्देश्य** देश में रहने वाले लोगों की पहचान संबंधी एक वसित डेटाबेस बनाना है।
 - यह **जनगणना** के "हाउस-लसिंग" चरण के दौरान घर-घर गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है।
 - NPR पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था।

■ कानूनी आधार:

- NPR **नागरिकता अधिनियम 1955** और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है।
- भारत के प्रत्येक "सामान्य नवासी" के लिये एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है।

■ महत्त्व:

- यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नवासियों के डेटा को **सुव्यवस्थित करेगा**।
 - उदाहरण के लिये विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की अलग-अलग जन्मतथिपाया जाना एक आम बात है। NPR में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।
- यह सरकार को अपनी **नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार करने** में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा।
- यह **सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद** करेगा और कागज़ी कार्रवाई और आधार की तरह ही लालफीताशाही को भी कम करेगा।
- यह **'एक पहचान पत्र' (वन आइडेंटिटी कार्ड)** के विचार को लागू करने में मदद करेगा जिससे हाल ही में सरकार द्वारा जारी किया गया है।
 - 'वन आइडेंटिटी कार्ड' आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट आदि के डुप्लीकेट और छेड़छाड़ किये गए दस्तावेजों को बदलने का प्रयास करता है।

■ NPR और NRC:

- नागरिकता नियम 2003 के अनुसार, NPR राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के संकलन की दिशा में पहला कदम है। नवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से **नागरिकों के सत्यापन के लिये एक राष्ट्रव्यापी NRC को शुरू किया जा सकता है**।
- हालाँकि NRC के विपरीत **NPR नागरिकता** की गणना से संबंधित नहीं है क्योंकि इसमें किसी क्षेत्र में छह महीने से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी को भी शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर:

- 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (NRC) प्रत्येक गाँव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है।
- यह रजिस्टर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट भी किया गया है।
 - इसे अभी तक **केवल असम में ही अपडेट** किया गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है।

NPR बनाम जनगणना:

- **उद्देश्य:**
 - जनगणना के दौरान जनगणनाकर्मीयों द्वारा लोगों से उनका नाम, लिंग, जन्मतथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता आदि जैसे **मूलभूत प्रश्न** (वर्ष 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न शामिल थे) पूछे जाते हैं।
 - दूसरी ओर **NPR में बुनियादी जनसांख्यिकीय डेटा और बायोमीट्रिक विवरण एकत्र किया जाता है।**
- **कानूनी आधार:**
 - जनगणना कानूनी रूप से **जनगणना अधिनियम, 1948** द्वारा समर्थित है।
 - NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नयियों के एक समूह में **उल्लिखित तंत्र** है।

नागरिकता अधिनियम, 1955:

- **परिचय:**
 - नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।
 - इसमें **जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भारत में बाह्य क्षेत्र शामिल होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान** हैं।
 - इसके अलावा यह **ओवरसीज सटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों (OCIs)** के पंजीकरण और उनके अधिकारों को वनियमिति करता है।
 - OCI, भारत आने के क्रम में बहु-प्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभों को पाने का हकदार होता है।
- **CAA 2019: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019** को नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये पेश किया गया था।
 - यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के **छह गैर-दस्तावेज वाले गैर-मुसलमि समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई)** को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
 - यह छह समुदायों के सदस्यों को **वर्देशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।**
 - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीजा एवं परमिट अवधि के बाद यहाँ रहने के लिये दंड नर्दिष्ट करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर (घातीय) तीन गुना हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- जनसंख्या की सघनता के महत्त्वपूर्ण संकेतकों में से एक जनसंख्या का घनत्व है। इसे प्रतिवर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- वर्ष 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था और 1951 में यह 117 था। इस प्रकार घनत्व में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई, न कि तीन गुना। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- बीसवीं सदी की शुरुआत यानी वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 था और यह लगातार एक दशक से बढ़कर वर्ष 2001 में 324 तक पहुँच गया।

- वर्ष 2001 में औसत वार्षिक वृद्धिदर 1.93 थी, जबकि 1951 में यह 1.25 थी। इस प्रकार इसमें वृद्धि तो हुई लेकिन यह वृद्धि दोगुनी नहीं थी। अतः कथन 2 सही नहीं है।

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न: सरकार की दो समानांतर योजनाएँ, आधार कार्ड और एनपीआर, एक स्वच्छता और दूसरी अनविरय, ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस एवं मुकदमेबाज़ी की स्थिति भी उत्पन्न की है। गुण-दोष के आधार पर चर्चा कीजिये कि क्या दोनों योजनाओं को एक साथ चलाने की आवश्यकता है। विकासात्मक लाभ और समान विकास हासिल करने के लिये योजनाओं की क्षमता का विश्लेषण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-population-register-3>

